संख्या:61/2020/647 ई-2/तेरह-2020-73/2014टी.सी.

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2020

विषय: मेसर्स राणा शुगर्स लि. बेलवाड़ा, मुरादाबाद आसवनी की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस के स्थान पर 350 करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 240 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 280 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-121/दो-प्रा.डी.-157/मे.राणा शुगर्स, दिनांक 04.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत में. राणा शुगर्स लि., बेलवाड़ा, मुरादाबाद में स्थापित 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की आसवनी, जिसमें केवल एथनॉल का निर्माण किया जा रहा है, को वर्ष में 300 कार्य दिवस के स्थान पर वर्ष में 350 कार्य दिवस तक आसवनी संचालित करने तथा आसवनी की क्षमता 240 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 280 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा क्षमता वृद्धि के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in